मु.33 4-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

राज. सरकार जरिये तहसील बांदीकुई बनाम बन्ची देवी वगैरा

मुकदमा धारा 177 (दावा) नं० 11 सन् 2025

तारीख म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/11/2025 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी पैरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी से 07 उप0) बहस की गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21/11/2025 को पेश हो। [signature]	
	21/11/2025 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी पैरोकार सरकार उप0 एवं वकील अप्रार्थी से 07 उप0। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत दावा अंतर्गत धारा 177 राज. का. अधि. 1955 का स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

मु.न. 11/2025
दर्ज दिनांक 18.02.2025
निर्णय दिनांक 21.11.2025

उनवान

1. राज० सरकार जरिये तहसील बांदीकुई

बनाम

1. बच्ची देवी पत्नी भूरा जाति गुर्जर (फौत)
2. श्री भगवान सहाय पुत्र भूरा जाति गुर्जर (बच्ची देवी वारिसान)
3. श्री राधाकिशन पुत्र भूरा जाति गुर्जर (बच्ची देवी वारिसान)
4. श्री गिर्राज पुत्र भूरा जाति गुर्जर (बच्ची देवी वारिसान)
5. श्री हजारी पुत्र भूरा जाति गुर्जर (बच्ची देवी वारिसान)
6. श्री नारायण पुत्र भूरा जाति गुर्जर
7. छगनसिंह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत
   निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा
8. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा, अरनिया

(प्रकरण अन्तर्गत धारा 177 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955)

तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायालय हाजा में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—ग्राम कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई स्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 400, 408, 409, 410/1774 में अवैध बजरी खनन एवं हरे पेडों को कटाई कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाडने के कारण उक्त खातेदार के विरूद्ध धारा 177 आरटीए 1955 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज वर भूमि को नियमानुसार सिवायचक घोषित करने बाबत। 1.ग्राम कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई स्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 400, 408, 409, 410/1774 मुताबिक जमाबन्दी उपर्युक्त खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। 2. पटवार हल्का अरनिया एवं भू– अभिलेख निरीक्षक देलाडी तहसील बांदीकुई ने दिनांक 02.01.2025 को ग्राम कीरतपुरा तहसील बांदीकुई स्थित उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 400, 408, 409, 410/1774 में अवैध बजरी खनन एवं हरे पेडो की कटाई कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाडने के कारण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ (अवैध बजरी खनन एवं हरे पेडो की कटाई कर) कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियमों के उल्लघंन

Scanned with OKEN Scanner

किया है। अतः खातेदार की खातेदारी समाप्त कर भूमि से खातेदारान को बेदखल कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि खातेदार काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत हानिप्रद कार्य एवं कृषि अयोग्य भूमि करने के कारण बेदखली की शास्ती का दायी व भागीदार है। जिससे यह बाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है। श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खातेदार को उक्त भूमि से बेदखल कर भूमि को सिवायचक राजकीय सम्पदा घोषित करने की कृपा करें।बाद पत्र श्रीमान जी को प्रस्तुत है। जिसमें वादी को सफलता की पूर्ण आशा है। पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 नक्का ट्रेष व जमाबन्दी प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8 बावजूद तलबी होने के बाद भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 23.07.2025 को की गई। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में बहस सुनी गई प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब एवं साक्ष्य पेश नही किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश मौका पर्चा कीरतपुरा दिनांक 01.01.2025 पटवारी हल्का अरनिया खसरा नम्बर 408, 409, 400, 410/1774 अवैध बजरी खनन होना व्यक्त किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप बिगडा है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 177 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीरतपुरा पटवार हल्का अरनिया तहसील बांदीकुई स्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 400, 408, 409, 410/1774 में अवैध बजरी खनन एवं हरे पेडों को कटाई कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर भूमि का स्वरूप बिगाडने के कारण उक्त खातेदार के विरूद्ध धारा 177 आरटीए 1955 के अन्तर्गत भूमि को नियमानुसार सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 21.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया ।

21/11/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner